

### The Jharkhand Contingency Fund Act, 2001

Act 9 of 2001

Keyword(s): Unforseen Expenditure, Governor

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1923 शकाब्द

संस्था 106

राँची, शुक्रवार 25 मई, 2001

विधि (विधान) विभाग

ग्रधिसूचना

25 मई, 2001

संख्या-एल० जी०-01/2000 लेज: 09— फारखण्ड विधान महत्र का निम्नलिखित प्रधिनियम, जिस पर राज्यपाल 10 धप्रील, 2001 को अनुपति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

> भारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, प्रशांत कुमार, संयुक्त सचिव, विधि (विधान) विभाग, भारखण्ड, राँची।

भारखण्ड श्राकस्मिकता निधि श्रधिनियम, 2001

[भारखण्ड प्रधिनियम 09, 2001]

बिहार पुनगंठन ग्रिधिनियम, 2000 के द्वारा फारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप फारखण्ड राज्य के श्रिप्तरयोशित व्ययों की पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना :--- चूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनगंठन ग्रिधिनियम, 2000 के तहत स्रलग फारखण्ड राज्य का गठन किया गया है।

भीर, च्रैकि, यह शावश्यक है ि आरखण्ड राज्य में एक धार्त्तिमकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए भीर उक्त निधि को आरखण्ड राज्यपाल के अधिन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राधिकृत होने तक, राज्य में होने वाले भप्रत्याशित ब्यय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राधिकृत किया जा सकेगा,

श्रीर, चूँकि, भारत के संविधान के ग्रानुच्छेद 267 के खण्ड-2 के द्वारा राज्य की विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान को गई है, भीर, चूँकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उन्त भारखण्ड आकस्मि कता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है.

श्रीर, चूँकि, भारखण्ड के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण भारखण्ड श्राकस्मिकना निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना धावश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बादनवें वर्ष में भारखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में सिविनियमित हो:-

#### ∹ पश्चिकेद:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एव प्रारम्भ :-
  - (1) यह प्रधिनियम भारखण्ड ग्राकस्मिकता विधि ग्रधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।
- 2. निर्वचन-ग्रव तक कि सदर्भ में अन्यया घपेकित न हो इस ग्रिविनयम में निधि से तात्यपं है आरा-3 के द्वारा स्थापित भःरखण्ड प्राकस्मिश्रता निधि, इस ग्रिविनयम में 'राज्य सरकार' से तात्यमं है, भःरखण्ड राज्य सरकार'।

### परिच्छेद-II

- 3. भारखण्ड श्राकस्मिकता निधि की स्थापना :
  - इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भ रखण्ड राज्य के किए 'आरखण्ड प्राकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो भारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा।
- 4. राज्य की संचित निधि से 150 कर'ड़ (एक मी पचःस करोड़) को रक्त की निकासी एवं भारखण्ड ग्राकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जना -

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार भारखण्ड राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रुपये की रकम का निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी।

- 5. नियम बनाने की शक्तियां: -- भारखण्ड राज्य सरकार विधि के प्रन्तर्गत भारखण्ड प्राकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगा।
- 6. निरसन एवं व्यावृति—(1) भःरलण्ड प्राकस्मिकता निधि ग्रव्यादेश, 2000 (भाग्खण्ड अध्यादेश संख्या 1,2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
  - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त घड्यादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था। की गई समभी जायगी, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

भारखण्ड राज्यपाल के मादेश से, प्रशांत कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।